

District Judge
District

जनपद न्यायाधीश,

03/8/24

अप्रति

पत्रांक 1536/T-6.2022 हमीरपुर दिनांक अमृत 03, 2024
कयालय जनपद न्यायाधीश, हमीरपुर

- 6. विकल्प पत्र।
- 5. माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञापि संख्या 1277/DR(S) 2006 दिनांक 13.06.2006
- 4. माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध अधोहस्ताक्षरी की प्रकाशन की छयापति।
- 3. उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या ए-2/ई-1/2003 दिनांक 22-28 नवंबर 2003 की छयापति।
- लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024 की छयापति।
- 2. शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/एस-2024/301(1) 2024 दिनांक (सामान्य) अर्जुमाग-3
- 3 लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024 की छयापति।
- संलग्नक-1 शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/एस-2024/301(1) 2024 दिनांक (सामान्य) अर्जुमाग-

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० अत्याचार
(03/8/24) हमीरपुर
(03/8/24) हमीरपुर
(03/8/24) हमीरपुर
(03/8/24) हमीरपुर

(D.A. No. UP.6498)

(सुश्रील कुमार खरवार)

भवदीय,

दिनांक 02.08.2024

योजना का लाभ प्रदान करने की कृपा करें।

उपरोक्त शासनादेश के आलोक में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विकल्प के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की पुरानी प्रेशन के अंतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र एवं उत्तर प्रदेश शासन के पत्र पर दिनांक 16.06.2006 की कार्यभार ग्रहण किया गया है।

श्रीमान जी को सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति 15 नवंबर, 2003 (विज्ञापन सं. ए-2/ई-1/2003) के माध्यम से उ०प्र० न्यायिक सेवा में सिविल जज (जु०डि०) के पद पर माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञापि 1277/DR(S) 2006 दिनांक 13.06.2006 के अर्जुम सं ईई एी। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त पद पर दिनांक 16.06.2006 को कार्यभार ग्रहण किया गया है।

11 जुलाई, 2024 जारी किया गया है।
श्रीमान जी को सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति 15 नवंबर, 2003 (विज्ञापन सं. ए-2/ई-1/2003) के माध्यम से उ०प्र० न्यायिक सेवा में सिविल जज (जु०डि०) के पद पर माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञापि 1277/DR(S) 2006 दिनांक 13.06.2006 के अर्जुम सं ईई एी। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त पद पर दिनांक 16.06.2006 को कार्यभार ग्रहण किया गया है।
अन्ततः आते हैं और राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या सा-3-379/एस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा जारी होने से पहले विज्ञापित पदां/रिक्तियों पर नियुक्ति किए गए हैं, उन्हें राष्ट्रीय प्रेशन प्रणाली/नई प्रेशन योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित पुरानी प्रेशन योजना से दिनांक 31.10.2024 की तिथि से समय सीमा के भीतर उ०प्र० सेवानिर्वाह लाभ नियमावली 1961 के तहत कवर करने की सुविधा दी गयी है तथा यह भी उल्लिखित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापित के नियमों में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारी, जिन्हें उ०प्र० न्यायिक सेवा/यू.पी.एच.जे.एस. की अधिसूचना दिनांक 28.03.2005 जारी होने से पहले विज्ञापित रिक्तियों के साक्ष्य नियुक्ति/चयनित किया गया है, के लिए पुरानी प्रेशन योजना का विकल्प चुनने हेतु शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/एस-2024/301(1) 2024 दिनांक (सामान्य) अर्जुमाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024 जारी किया गया है।

संसमान निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/एस-2024/301(1) 2024 दिनांक (सामान्य) अर्जुमाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024 के अर्जुम सं उत्तर प्रदेश सरकार के एसे सभी कर्मचारी जो राष्ट्रीय प्रेशन प्रणाली/नई प्रेशन योजना के अन्ततः आते हैं और राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या सा-3-379/एस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा जारी होने से पहले विज्ञापित पदां/रिक्तियों पर नियुक्ति किए गए हैं, उन्हें राष्ट्रीय प्रेशन प्रणाली/नई प्रेशन योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित पुरानी प्रेशन योजना से दिनांक 31.10.2024 की तिथि से समय सीमा के भीतर उ०प्र० सेवानिर्वाह लाभ नियमावली 1961 के तहत कवर करने की सुविधा दी गयी है तथा यह भी उल्लिखित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापित के नियमों में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारी, जिन्हें उ०प्र० न्यायिक सेवा/यू.पी.एच.जे.एस. की अधिसूचना दिनांक 28.03.2005 जारी होने से पहले विज्ञापित रिक्तियों के साक्ष्य नियुक्ति/चयनित किया गया है, के लिए पुरानी प्रेशन योजना का विकल्प चुनने हेतु शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/एस-2024/301(1) 2024 दिनांक (सामान्य) अर्जुमाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024 जारी किया गया है।

विषय:- पुरानी प्रेशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।

माननीय जनपद न्यायाधीश,

द्वारा,

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

माननीय महानिबंधक,

सेवा में,

हमीरपुर।

सुश्रील कुमार खरवार, विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० अत्याचार अधिनियम),

प्रश्नक,

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक

विकल्प पत्र

1. नाम- सुशील कुमार खरवार (Id No. UP6498)
2. पदनाम- विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० अत्याचार निवारण अधिनियम), हमीरपुर।
3. वेतनमान- 163030 (J5- 144840-194660)
4. वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- कार्मिक एवं न्याय विभाग (नियुक्ति अनुभाग-4) उ०प्र० शासन, लखनऊ/उ०प्र० लोक सेवा आयोग।
6. विज्ञप्ति की तिथि- 15 नवम्बर, 2003 (विज्ञापन सं. ए-2/ई-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति तिथि- 26.05.2006 (संख्या 2430/दो-4-06-32(1)/2001 टीसी-1)
8. विभाग में योगदान तिथि- 16.06.2006
9. जन्म तिथि- 15.01.1968
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- 31.01.2028

मैं, सुशील कुमार खरवार पुत्र रामाधार राम शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाए।

हस्ताक्षर 

नाम- सुशील कुमार खरवार (Id No. UP6498)

पदनाम- विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० अत्याचार निवारण अधिनियम) हमीरपुर (उ०प्र०)

घोषणा पत्र

मैं, सुशील कुमार खरवार (Id No. UP6498) पदनाम विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० अत्याचार निवारण अधिनियम), हमीरपुर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या 01 ता 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।


हस्ताक्षर 

नाम- सुशील कुमार खरवार (Id No. UP6498)

पदनाम- विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० अत्याचार निवारण अधिनियम) हमीरपुर (उ०प्र०)

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री सुशील कुमार खरवार (Id No. UP6498) पदनाम विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० अत्याचार निवारण अधिनियम), हमीरपुर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।


03/8/24
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
District Judge
Hamirpur (U. P.)

Reg. No. 529
File No. IV-82
Serial No. 24
15-7-24

संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व ही चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनि्युक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

A. R. Acc (C-1)

15/7/24

5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं-

(1) विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2) उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3) जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वृणन किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।

(5) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6) ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लेखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28
जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

S.O. AK/A-1

11-07-2024 JR Adun Mize

2/-


- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasan.odesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A A- A A+

SRI SUSHIL KUMAR KHARWAR

Spl. J. (SC/ST, Pev.of Atroci Act)
Hamirpur



Id No:	UP6498
Father's/Husband's Name:	RAMA DHAR RAM
Date of Birth:	15-01-1968
Date of Retirement:	31-01-2028
Home District:	Ghazipur
Home State:	Uttar Pradesh
Date of Appt. in Judicial Service as Munsif/CJ(JD):	16-06-2006
Date of Promotion in CJ/CJ(SD):	15-10-2015
Date of Conf. on Munsif/CJ(JD):	11-09-2019
Date of Promotion to Class-I:	15-10-2015
Date of Joining in HJS under Rule 22(3) of UP HJS Rule 1975:	
Date of Joining in HJS under Rule 22(1) of UP HJS Rule 1975:	20-08-2019
Date of Conf. in HJS:	

Qualification Details

SL	DETAILS	DIVISION	YEAR
1.	High School	Second	1983
2.	Intermediate	Third	1985
3.	B.Com.	Second	1987
4.	M.Com.	Second	1989
5.	LL.B.	Second	1992

Training Details

SL	SUBJECT	INSTITUTE	FROM-TO
1.	Foundation/Induction Training	I.J.T.R., U.P. Lucknow	16-10-06 - 29-11-06
2.	Induction Training	I.J.T.R., U.P. Lucknow	02-07-07 - 16-08-07
3.	National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges	National Judicial Academy, Bhopal	06-08-10 - 17-08-10
4.	Refresher Training (RTFC-1) under 13th Finance Commission Scheme.	I.J.T.R., U.P. Lucknow	21-02-11 - 01-03-11
5.	Refresher Training Programme for Civil Judges Junior Division	I.J.T.R., U.P. Lucknow	18-03-13 - 22-03-13
6.	Refresher Training Programme for Civil Judges under 13th Finance Commission Scheme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	10-03-14 - 14-03-14
7.	Ubuntu-Linux 14.04 Cum CIS Training Programme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	02-09-15 - 03-09-15
8.	Management Development Programme for Judicial Officers of Uttar Pradesh	IIPA, New Delhi	24-06-19 - 28-06-19
9.	40 Hours Training Programme on Mediation	I.J.T.R., U.P. Lucknow	12-12-22 - 16-12-22

Posting Details

SL	DESIGNATION PLACE	FROM TO	REMARKS
1.	Judicial Magistrate Siddharth Nagar	16-06-2006 05-06-2007	
2.	Addl. Civil Judge (Junior Div.) Siddharth Nagar	05-06-2007 15-10-2015	

3.	Judicial Magistrate Siddharth Nagar	15-12-2008 06-06-2009	
4.	Addl. Civil Judge (Junior Div.) Varanasi	08-06-2009 31-07-2009	
5.	Civil Judge (Junior Div.) Chakia- Chandauli	01-08-2009 15-04-2011	J.M. (Economic Offences)
6.	Judicial Magistrate Gonda	18-04-2011 28-07-2011	
7.	Civil Judge (Junior Div.) Gonda	28-07-2011 16-04-2012	
8.	Judicial Magistrate Gonda	16-04-2012 15-04-2014	
9.	Civil Judge (Junior Div.) Mauranipur-Jhansi	17-04-2014 16-10-2015	J.M. (Economic Offences)
10.	Addl. Chief Judicial Magistrate Jhansi	16-10-2015 19-02-2016	J.M. (Economic Offences)
11.	Civil Judge (Senior Div.) Jhansi	19-02-2016 08-05-2017	
12.	Addl. Civil Judge (Senior Div.) Deoband-Saharanpur	11-05-2017 15-04-2019	J.M. (Economic Offences)
13.	Chief Judicial Magistrate Gorakhpur	18-04-2019 01-08-2019	
14.	Judge Small Causes Court Gorakhpur	01-08-2019 21-08-2019	
15.	Spl.Judge,Anti Corruption V.B.UPSEB Gorakhpur	21-08-2019 28-09-2019	
16.	Addl. District & Sessions Judge Gorakhpur	28-09-2019 06-11-2019	
17.	Spl.Judge,Anti Corruption V.B.UPSEB Gorakhpur	06-11-2019 30-06-2020	
18.	Addl. District & Sessions Judge Gorakhpur	30-06-2020 30-09-2021	
19.	Spl.Judge,Anti Corruption V.B.UPSEB Gorakhpur	30-09-2021 21-05-2022	
20.	Addl. District & Sessions Judge Gorakhpur	21-05-2022 04-07-2022	
21.	A.D.J. (FTC) Hamirpur	06-07-2022 23-01-2023	
22.	Addl. District & Sessions Judge Hamirpur	23-01-2023 06-02-2023	
23.	Spl. Judge (E.C. Act) Hamirpur	06-02-2023 15-04-2024*	
24.	Spl. J. (SC/ST, Pev.of Atroci Act) Hamirpur	15-04-2024*	

(* : The exact date on which charge taken/handed over is not known. This is the date of notification of transfer.)

(The above information is subject to verification by Services Section.)

< Not. No. 947 to... >

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: June 13, 2006

No. 947 /DR(S)/2006 Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/11-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Smt Vikas Goyal, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Faizkhabad in the vacant court.

No. 948 /DR(S)/2006 Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/11-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Smt Tanya Singh, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hardoi in the vacant court.

No. 949 /DR(S)/2006 Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/11-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Smt Prashant Mittal, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Meerut in the vacant court.

No. 950 /DR(S)/2006 Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/11-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Smt Shelly Koy, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Faizabas in the vacant court.

No. 951 /DR(S)/2006 Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/11-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Smt Bhoojendra Rai, Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

No. 952 /DR(S)/2006 Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/11-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Smt Sanjeev Kumar Singh, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

No. 953 /DR(S)/2006 Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/11-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Smt Kamlesh Kumar Pathak, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad.

No. 954 /DR(S)/2006 Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/11-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Smt Harendra Harti, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mau in vacant court.

< Not. No. 947 to ...

No. 1276 /DR(S)/2006 Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri Raju Prasad, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division, Siddharth Nagar.

No. 1277 /DR(S)/2006 Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri Sushil Kumar Khairwar, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Siddharth Nagar vice Sri Prabalad Singh.

No. 1278 /DR(S)/2006 Sri Prabalad Singh, Judicial Magistrate, First Class, Siddharth Nagar to be Additional Civil Judge, Junior Division, Siddharth Nagar.

No. 1279 /DR(S)/2006 Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri Ram Bilas Prasad, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Hardoi.

No. 1280 /DR(S)/2006 Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri Anil Kumar Khairwar, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Prayagrah.

BY ORDER OF THE COURT,

Sd/-
(SWATIANTRA SINGH)
REGISTRAR GENERAL

No. 107 /DR (S)/2006; Alhabad; Dated: June 13, 2006.

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. Pravinch Sachiv, Mysini, U.P. Shamsar, Lucknow.
2. Pravinch Sachiv, Nyay Evam Vidhapanamarsih, Uttar Pradesh Shamsar, Lucknow.
3. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhaban Anand, Lucknow-226001.
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, I.J.R., Vinay Khand, Gauri Nagar, Lucknow, requesting him to impart training to the newly appointed Civil Judges, Junior Division in three batches of 120 officers (1st Batch - Sl. No. 1 to 120, 2nd Batch-Sl. No. 121 to 240 and 3rd Batch-Sl. No. 241 to 360) plus who could not participate in their allotted batch) in five phases of 75 days each over existing justices. (Information available on E-mail).
5. The Additional Director, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Alhabad.
6. The Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow with the request to place Notification before Hon'ble Judges, Sitting at Lucknow Bench, Lucknow. (Information available on Email).

विद्यालय प्रकाश मंडल, सार्वजनिक स्कूल

श्री रामचंद्र स्वामीजी देवदास

श्री श्री स्वामी सिद्धाचार्यजी देवदास

320. श्री रामचंद्र स्वामीजी देवदास

321. अनिल कुमार, रामचंद्र प्रसाद

322. अरुण कुमार, रामचंद्र प्रसाद

323. देवेंद्र नाथ सिद्धाचार्य, रामचंद्र प्रसाद

324. विष्णु वर्मन, रामचंद्र प्रसाद

325. गितिकर सिद्धाचार्य, रामचंद्र प्रसाद

326. राजू प्रसाद, रामचंद्र प्रसाद

327. सुधीर कुमार खरवार, रामचंद्र प्रसाद

328. रामचंद्र प्रसाद, रामचंद्र प्रसाद

329. अनिल कुमार, रामचंद्र प्रसाद

2. उपरोक्त उम्मीदवारों की सेवाओं के आदेशों के अन्तर्गत, इत्यादि कार्य द्वारा निर्धारित विषयों में

3. उक्त उम्मीदवारों के कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए आवश्यक प्रारूप पर अभ्यर्थकों को निर्देशित किया जावेगा।

म. सं. 227डी/प्रशासनात्मक

महाराष्ट्र शिक्षा परिसर-243001

म. सं. 04/अई.जी.-1/717

एच. एन. सी. प्रसाद द्वारा

द्वारा श्री विनायक सिद्धाचार्य

10/अरुण सिंह, रामचंद्र प्रसाद

सिद्धाचार्य, रामचंद्र प्रसाद

44/अरुण कुमार, रामचंद्र प्रसाद

श्यामल कान्ही हिन्दू

विश्वविद्यालय, रामचंद्र प्रसाद

गा. सं. 227डी/अरुण सिंह

नगर, सी. टी. सी. प्रसाद

गा. सं. 257300/अरुण सिंह

सी. टी. सी. प्रसाद के अन्तर्गत

लखनऊ

क. सं. 121/अरुण सिंह

श्यामल कान्ही हिन्दू विश्वविद्यालय

द्वारा एम. सी. गंगवार ए-310

इ. सं. 227डी/अरुण सिंह

जी. सं. 24 कबीर कान्ही हिन्दू

विश्वविद्यालय, रामचंद्र प्रसाद

227डी/अरुण सिंह

आ. सं. 227डी/अरुण सिंह

गा. सं. 227डी/अरुण सिंह

लखनऊ, इरवा रोड (नेतृत्व परिसर)

एच. एन. सी. प्रसाद

71/अरुण सिंह

इ. सं. 227डी/अरुण सिंह

(उमेश शिंदे)
सचिव